प्रेस नोट
दिनांक 02.11.2026

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का अनावरण, 03 शातिर चोर गिरफ्तार, 08 लिथियम बैटरी (अनुमानित कीमत 7,20,000/-), 03 मोटरसाइकिल व चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अल्लीपुर बनुआ में स्थापित इंडस टावर (साइट आईडी- IN-1137186) से दिनांक 11/12.10.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा बैटरी कैबिनेट का ताला काटकर 100 AH क्षमता की 08 अदद अमरान कंपनी की लिथियम बैटरी चोरी कर ली गई थी । उक्त घटना के संबंध में निशा सुरक्षा सर्विस प्रा0लि0 के जिला सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह की लिखित तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

दिनांक 01.11.2026 को थानाध्यक्ष उमरी बेगमगंज मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में देखभाल, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश हेतु रवाना थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की घटना में संलिप्त व्यक्ति पसका की तरफ से बनुवा बांध होते हुए बरौली मार्ग की ओर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं।प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बनुवा से बरौली मार्ग स्थित मोड़ पर घेराबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग प्रारम्भ की गई। इसी दौरान एक लाल रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों उत्कर्ष सिंह तथा अमित सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अदद लिथियम बैटरी, चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल व उनकी निशानदेही पर ग्राम मंगुरा बाजार स्थित सावन सिंह के खेत पर झाड़ियों में छिपाकर रखी गई 07 अदद अन्य लिथियम बैटरी तथा 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई। मोटरसाइकिल की डिग्गी की तलाशी लेने पर चोरी में प्रयुक्त उपकरण एक अदद नीले रंग का कटर, एक अदद हरे रंग का कटर, 03 अदद रिंच, एक अदद लाल रंग का पेचकस एवं एक अदद नीले रंग का प्लास बरामद हुआ तथा मौके से सावन सिंह उर्फ शिवा को भी गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार पुलिस टीम द्वारा कुल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की गई 08 अदद लिथियम बैटरी, 03 अदद मोटरसाइकिल, ₹5,000/- नकद एवं चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे कुल 05 लोग मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अभियुक्तों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 11/12.10.2026 की रात्रि में ग्राम अल्लीपुर बनुआ स्थित वोडाफोन-एयरटेल/इंडस टावर से 08 अदद लिथियम बैटरी चोरी करना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 21/22.09.2026 की रात्रि में ग्राम लक्ष्मनपुरवा स्थित टावर से 03 अदद लिथियम बैटरी तथा दिनांक 29/30.09.2026 की रात्रि में थाना परसपुर क्षेत्र के ग्राम मलाव स्थित इंडस टावर से 06 अदद लिथियम बैटरी चोरी की गई थीं। इन दोनों घटनाओं में भी अभियुक्तों ने अपनी संलिप्तता बताई।अभियुक्तों ने यह भी बताया कि दिनांक 29.09.2026 की शाम को उनके द्वारा थाना परसपुर क्षेत्र के मोहना पाण्डेय पुरवा के पास से एक सैमसंग A17 5G मोबाइल फोन छीन लिया गया था। पकड़े जाने के डर से उक्त मोबाइल फोन को तोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर फेंक दिया गया। इसके अतिरिक्त पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा दिनांक 03.06.2026 की रात्रि में थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत बाबा गयादीन वैद्य बाबूराम महाविद्यालय से एक इन्वर्टर एवं बैटरी चोरी करने की बात बताई गई। अभियुक्तों ने बताया कि चोरी किए गए इन्वर्टर एवं बैटरी को लगभग एक सप्ताह पूर्व एक अज्ञात कबाड़ी को ₹6,000/- में बेच दिया था तथा प्राप्त धनराशि को आपस में ₹2,000-₹2,000 बांट लिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. उत्कर्ष सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह निवासी ग्राम धुंधेपुर, थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोण्डा।
2. अमित सिंह पुत्र स्व0 नेपाल सिंह निवासी ग्राम धुंधेपुर, थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोण्डा।
3. सावन सिंह उर्फ शिवा पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम धुंधेपुर, थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01.मु0अ0सं0-276/2026 धारा 305(a),303(2),317(2) बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02.मु0अ0सं0-442/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
03.मु0अ0सं0-397/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
04.मु0अ0सं0-452/2026 धारा 303(2) बीएनएस – थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
05.मु0अ0सं0-185/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस-थाना नबाबगंज,जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 08 अदद लिथियम बैटरी (अनुमानित कीमत 7,20,000/-)
2. 03 अदद मोटरसाइकिल-
3. ₹5,000/- नकद।
4. 01 अदद नीले रंग का कटर।
5. 01 अदद हरे रंग का कटर।
6. 03 अदद सफेद रंग के रिंच (12/13 नम्बर)।
7. 01 अदद लाल रंग का पेचकस।
8. 01 अदद नीले रंग का प्लास।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा, थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोण्डा।
2. उ0नि0 अभिलेख तिवारी।
3. हे0का0 विनय कुमार यादव
4. का0 अभय सिंह।
5. का0 कन्हैया यादव।
6. का0 सुधीर कुमार।